

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 40(18) ग्रावि/नरेगा/तक.प्रक./पार्ट-2/2010

जयपुर, दिनांक:-

12 FEB 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रिकास्ट सीमेन्ट कंक्रीट इन्टरलॉकिंग ब्लॉक/टाईल्स के माध्यम से गांवों की आन्तरिक सड़कों के निर्माण हेतु जारी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन बाबत।

संदर्भ :- विभागीय समसख्यक पत्र दिनांक 24.01.2012 एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक जे 11060/1/ 2011- एम.जी.नरेगा-1 दिनांक 18.10.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र दिनांक 24.01.2012 के बिन्दु संख्या-6 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रिकास्ट इन्टरलॉकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक/टाईल्स के माध्यम से गांवों की आन्तरिक सड़कों के निर्माण हेतु सड़क की अधिकतम चौड़ाई 3.75 मीटर के स्थान पर भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.10.2011 के बिन्दु संख्या (viii) के उप बिन्दु संख्या (c) के अनुसार आन्तरिक सड़क की अधिकतम चौड़ाई 2.5 मीटर रखी जावे।

भवदीय,

31/1/12

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
5. अति. आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जिला परिषद् समस्त को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र की प्रति श्रीमान् जिला प्रमुख, सभी प्रधानगण, सभी विकास अधिकारी, एवं सभी सरपंचगण को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद्, समस्त।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस